रजिस्ट्री सं० डी०--(डी)--73 REGISTERED NO.D--(D)--73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 31] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 2, 1980 (श्रावण 11, 1902)

No. 31] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 2, 1980 (SRAVANA 11, 1902)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . . .	469
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	973
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	15
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई, अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	825
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खण्ड 2—विधेयक और विधेयक संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्ट . .	—
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिसमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित ह) . .	*
भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं . .	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश .	*
भाग III—खण्ड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .	8557
भाग III—खण्ड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस ·	405
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खण्ड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल है . .	2567
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस	123

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई।

1—171 GI/80

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	469
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	973
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to non-statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	15
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	825
PART II—SECTION 1.—Act, Ordinances and Regulations.	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committee on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	*
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	8557
PART III—SECTION 2.—Notification and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	405
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2567
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies ..	123

*Folio not received

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधिसर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 जुलाई 1980

सं० 50-प्रेज/80—राष्ट्रपति केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री आर० एम० सिंह, (स्वर्गीय)
कान्सटेबल सं० 750035019
35वीं बटालियन,
केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

13 अप्रैल, 1979 को स्थानीय सर्किल अधिकारी (मजिस्ट्रेट) को सूचना मिली कि एक घोषित अपराधी, ओम्तों मेपों, एनोलीह के सी० पी० ओ० केन्द्र पर जो अरुणाचल प्रदेश की दूर-दराज़ पोस्ट है, आएगा। केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल की एक टुकड़ी को, जिसमें एक हैड-कांस्टेबल एक लान्स नायक और 5 कांस्टेबल थे, अपराधी को पकड़ने के लिए तैनात किया गया। बल ने सी० पी० ओ० केन्द्र से सभी बच कर निकलने वाले रास्तों पर कुशलता से मोर्चा संम्भाला। तब दल के दूसरे कार्यकारी-प्रभारी ने अपराधी को बाहर निकलने और अपने हथियारों को समर्पित करने और अपने आपको गिरफ्तारी के लिए प्रस्तुत करने के लिए कहा। यह सुनते ही अपराधी ने अपना भाला केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल की टुकड़ी के दूसरे कार्यकारी-प्रभारी पर फेंका लेकिन निशाना चूक गया। तब ओम्तों मेपों ने अपना भाला नीचे फेंका और दोनों दावों को अपने हाथों में लिया और उनको घुमाते हुए बाहर आया ताकि उसे कोई छू न सके। क्योंकि अभियुक्त को जीवित पकड़ने का निर्णय लिया गया था अतः श्री आर० एम० सिंह कूदकर अपराधी पर झपटे। लेकिन अपराधी ने श्री सिंह के बायें कंधे के जोड़ पर दाव से खतरनाक वार किया जिससे श्री सिंह को गम्भीर चोट आयी। अपनी व्यक्तिगत रक्षा की परवाह न करते हुए श्री सिंह ने अपराधी को नहीं छोड़ा, उसने कांस्टेबल तेली राम पर आक्रमण किया जो पश्चिम की ओर खड़े थे। श्री तेली राम तब जमीन पर गिर गये और अपराधी को असमर्थ बनाने के उद्देश्य से उसके पांव पर गोली चलायी लेकिन दुर्भाग्यवश गोली भी श्री सिंह के पांव पर लगी। तब आततायी ने अपने को श्री सिंह की पकड़ से मुक्त कर लिया और जंगल की तरफ भागा। श्री सिंह आततायी के पीछे रेंगते रहे और अपने साथियों को अपराधी को पकड़ने के लिए चिल्लाते रहे। इतने में लांस नायक विजयनाथन ने अपराधी के पांव पर गोली चलायी लेकिन गोली अपराधी के कूल्हे के जोड़ पर लगी और वह बाद में प्राण घातक सिद्ध हुई। श्री सिंह को चिकित्सा के लिए वहां से निकाला नहीं जा सका और अगले दिन वे वीरगति को प्राप्त हो गये।

इस कार्रवाई में श्री आर० एम० सिंह ने उत्कृष्ट वीरता, नेतृत्व, साहस एवं उच्च कोटि की कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया।

2. यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 13 अप्रैल, 1979 से दिया जाएगा।

सं० 51-प्रेज/80—राष्ट्रपति गुजरात पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री जीवन सिंह मानसिंहजी झाला,
पुलिस निरीक्षक,
नरानपुरा पुलिस स्टेशन,
अहमदाबाद शहर,
गुजरात।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया।

21 अप्रैल, 1979 को अपराह्न लगभग 1.30 बजे जब श्री जीवन-सिंह मानसिंहजी झाला, पुलिस निरीक्षक, नरानपुरा पुलिस स्टेशन से अपने घर मोटर साईकिल पर मध्याह्न भोजन के लिये जा रहे थे तो उन्होंने डा० अमीन के औषधालय के निकट सन्देहजनक परिस्थितियों में दो अपरिचित व्यक्तियों को घूमते हुए देखा। उनमें से एक अपरिचित के हाथ में अखबार में लिपटी हुई कोई वस्तु थी। श्री झाला को तत्काल एक सेंधमार का ध्यान आया जो अखबार में एक सब्बल को लपेट कर रखता था। श्री झाला अपनी मोटर साईकिल से उतरे तथा अपरिचितों को ललकारा और अखबार में लपेटी हुई वस्तु को दिखाने के लिये कहा। किन्तु उनमें से एक ने पुलिस निरीक्षक को धमकाने का प्रयत्न किया जबकि दूसरे अपरिचित ने अखबार को आधा ही खोला। श्री झाला ने उसको छीन लिया और पैकेट को खोलने पर लोहे का सब्बल दिखाई दिया। अपरिचितों ने इस विचार से कि उनका भेद खुल गया है अपने रिवाल्वर, जो उनके पायजामों के कमरबन्दों के नीचे छिपे हुये थे, निकाल लिये और श्री झाला को अपना रिवाल्वर उन्हें देने को कहा। श्री झाला ने सब्बल (गनेसिया) को फेंक दिया और अपना रिवाल्वर निकालने लगे। किन्तु इससे पहले कि वे अपना रिवाल्वर खोल में से निकालते, अपरिचितों में से एक जिसका नाम नासिर खान था उन पर निकट से गोली चलाई। भाग्यवश वे बच गए और गोली दीवार को लगी। अपराधी ने पुनः गोली चलाई परन्तु इस बार श्री झाला एक ओर हट गये और उन्होंने श्री नासिर खान पर लगातार तीन गोली चलाई जो उसकी छाती तथा पेट में लगी तथा जिसके परिणामस्वरूप बाद में अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। इस बीच दूसरे अपराधी ने भी पुलिस निरीक्षक पर गोली चलाने का प्रयत्न किया परन्तु उसका रिवाल्वर नहीं चला। तब अपराधी भाग खड़ा हुआ। किन्तु पुलिस निरीक्षक ने एक गुजरती हुई आटोरिक्शा में अपराधी का पीछा किया तथा उस पर काबू पा लिया।

इस मुठभेड़ में श्री जीवनसिंह मानसिंह जी झाला ने उत्कृष्ट वीरता, जागरूकता तथा उच्च कोटि की कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 21 अप्रैल, 1979 से दिया जाएगा।

सं० 52-प्रेज/80—राष्ट्रपति पश्चिम बंगाल पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री चित्त रंजन बिश्वास,
कांस्टेबल नं० के/1889,
जिला हुगली,
पश्चिम बंगाल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

28 मई, 1976 को पुलिस उप निरीक्षक श्री शांति रंजन बिश्वास को सूचना मिली कि कुछ कुख्यात डाकू उस रात को बेपारा बसरामपुर गांव के एक मकान में डाका डालने वाले हैं। श्री शांति रंजन बिश्वास एक उप-निरीक्षक और पांच कांस्टेबलों के साथ जिसमें श्री चित्त रंजन बिश्वास भी थे, गांव की ओर रवाना हुए। गांव में पहुंचने के बाद उन्होंने उस स्थान के पास एक झाड़ी में मोर्चा सम्भाला। लगभग 00.20 बजे टार्चों का प्रकाश देखा गया और दरवाजे तोड़ने की कुछ आवाजें सुनाई दीं। पुलिस दल तुरन्त उस स्थान की ओर बढ़ा जहां से आवाज सुनाई दे रही थी। किन्तु डाकुओं ने जिन्हें पुलिस के आने के बारे में मालूम हो गया था कुछ बम्बों का विस्फोट करके तथा नालीदार-बन्दूकों से गोली चलाकर और धनुषों से तीर छोड़ कर पुलिस दल पर आक्रमण किया। श्री शांति रंजन बिश्वास ने जवाब में गोली चलाने का आदेश दिया। लगभग दो घण्टे तक दोनों तरफ से गोलियां चलती रहीं। गोलीबारी के दौरान श्री शांति रंजन बिश्वास को बांयें बाजू पर चोट लगी जबकि पुलिस के एक सदस्य श्री चित्त रंजन बिश्वास डाकुओं द्वारा फेंके गए बम्ब के टुकड़ों से पीठ में कमर के पास गम्भीर रूप से घायल हो गए। अपनी चोटों और सुरक्षा की तनिक भी परवाह न करते हुए श्री चित्त रंजन बिश्वास ने अपनी राईफल से तीन राउंड गोली चलाई और एक डाकू को मार गिराया। इस पर डाकुओं ने पीछे हटना शुरू कर दिया किन्तु पुलिस दल ने उनका पीछा किया और एक घायल डाकू को गिरफ्तार कर लिया। अन्य डाकू अंधेरे में बच निकले। क्षेत्र की खोज करने पर बर्दवान जिले के दो कुख्यात डाकुओं के शव बरामद हुए और एक भरी हुई नालीदार बंदूक, दो 12 बोर के भरे हुए कारतूस भी एक मरे हुए डाकू के पास से बरामद किए गये और घटनास्थल से दो बम्ब, दो तीर और कुछ खाली कारतूस भी मिले।

इस मुठभेड़ में श्री चित्त रंजन बिश्वास ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 28 मई, 1976 से दिया जाएगा।

सं० 53-प्रेज/80—राष्ट्रपति सीमा सुरक्षा बल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री कर्ण बहादुर गुरंग,
हैड कांस्टेबल नं० 66788030,
78वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

10/11 अगस्त, 1977 की रात को हैड कांस्टेबल श्री कर्ण बहादुर गुरंग को सूचना मिली कि डाकुओं का एक गिरोह त्रिपुरा के गांव अरालिया में श्री मनमोहन चन्द्र देबनाथ के मकान में डाका डालने वाला है। चूंकि मामले की सूचना निकटतम थाने को देना संभव नहीं था क्योंकि वह काफी दूरी पर था। अतः श्री कर्ण बहादुर गुरंग अपराधियों को पकड़ने के लिए तीन कांस्टेबलों के साथ गांव की तरफ बढ़े। गांव पहुंचने पर सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ी ने मोर्चा सम्भाला और उन्हें मालूम हुआ कि डाकू पहले ही पहुंच चुके हैं और विपदग्रस्त व्यक्ति के मकान को लूटने में लगे हैं। जब डाकुओं को ललकारा गया तो उन्होंने सीमा सुरक्षा बल के गश्ती दल पर गोली चलाना शुरू कर दिया और अंधेरे का लाभ उठाते हुए वे लूटी सम्पत्ति को छोड़कर बच निकले। सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ी ने अपराधियों का पीछा करने का प्रयत्न किया किन्तु वे सफल नहीं हुए। 11 अगस्त, 1977 को प्रातः काल सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ी मुठभेड़ के स्थान पर लौटी और उसने गांव की ओर से खून के चिह्न देखे। पूर्णतया खोज करने और क्षेत्र की छानबीन करने पर एक घायल डाकू धान के खेत में आश्रय लिये हुये पाया गया। जब गश्ती दल उसके पास पहुंच ही रहा था तो वहां छिपे अन्य डाकुओं ने उन पर गोली चलाई। गोलियों की परवाह न करते हुए श्री गुरंग ने अपने जवानों को कुशलता पूर्वक मोर्चे पर लगाया और वे स्वयं डाकुओं को पकड़ने के उद्देश्य से उनकी तरफ बढ़ने लगे। श्री गुरंग ने 10 गज की दूरी से अपराधियों पर आक्रमण किया और एक डाकू को घटनास्थल पर ही मार डाला। क्षेत्र की तलाशी करने पर उन्होंने चोरी की गई सम्पत्ति और एक स्वचालित कारबाइन राइफल समेत कुछ हथियार और गोला-बारूद बरामद किया।

इस मुठभेड़ में श्री कर्ण बहादुर गुरंग ने उच्च कोटि की वीरता, पहलकदमी एवं उच्च कोटि की कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 10 अगस्त, 1977 से दिया जाएगा।

सु० नीलकण्ठन,
राष्ट्रपति के उप सचिव

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय
कम्पनी कार्य विभाग
(कम्पनी विधि बोर्ड)

नई दिल्ली-1, दिनांक 14 जुलाई 1980

आदेश

सं० 27(26)/80-सी० एल०-2:—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209क की उपधारा (1) के खण्ड (II) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा उक्त धारा 209क के उद्देश्यों के लिये निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत करती है:—

1. श्री डी० के० पाल, निरीक्षण अधिकारी, कलकत्ता।
2. श्री एच० के० मल्लिक, निरीक्षण अधिकारी, कलकत्ता
3. श्री सिसिर कुमार दास, वरिष्ठ तकनीकी सहायक

एम० बलरामन, उप सचिव

PRESIDENTS SECRETARIAT

New Delhi, the 23rd July 1980

No. 50-Pres/80.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force :—

Name and rank of the officer

Shri R. N. Singh, (*Deceased*)
Constable No. 750035019,
35 Battalion,
Central Reserve Police Force

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 13th April, 1979, the local Circle Officer (Magistrate) received information that a proclaimed offender Gomto Mepo would visit C.P.O. Centre at Anelih, a far flung post in Arunachal Pradesh. A Central Reserve Police Force party, consisting of one Head Constable, one Lance Naik and 5 Constables, was detailed to apprehend the criminal. The party took tactical positions on all the escape routes from the C.P.O. Centre. The second incharge of the party then called upon the offender to come out and surrender his arms and offer himself for arrest. On hearing this, the criminal flashed his spear at the second incharge of the party which narrowly missed him. The criminal then threw away the spear and took both the Daos in his hands and came out flashing them as that no one could touch him. Since it had been decided to arrest the accused alive, Shri R. N. Singh jumped and pounced upon the criminal. But the criminal gave a severe Dao blow on the left shoulder joint of Shri Singh causing a grevious injury on him. In disregard of his injury, Shri Singh did not leave the criminal who attacked Constable Tale Ram standing on the western side. Shri Tale Ram fell back on the ground and fired a shot at the leg of the criminal in order to incapacitate him but the shot accidentally hit Shri Singh on his leg. The desperado then freed himself from Shri Singh and ran towards the jungle. Shri Singh kept crawling behind the desperado and calling his colleagues to capture the offender. In the meantime, L/Nk Vijayanathan fired at the leg of the criminal but the bullet hit the criminal at his hip joint and proved fatal. Shri Singh could not be evacuated for medical aid and expired on the next day.

In this action Shri R. N. Singh exhibited conspicuous gallantry, initiative, courage and devotion to duty of a very high order.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 13th April, 1979.

No. 51-Pres/80.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Gujarat Police :—

Name and rank of the officer

Shri Jivansinh Mansinhji Jhala,
Police Inspector,
Naranpura Police Station,
Ahmedabad City,
Gujarat.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 21st April, 1979, at about 1.30 P.M., when Shri Jivansinh Mansinhji Jhala, Police Inspector, Naranpura Police Station was going to his home on his motor-cycle for taking lunch, near Dr. Amin's dispensary he saw two strangers moving in suspscious circumstances and one of them was having something in his hand wrapped in a newspaper. Immediately Shri Jhala was reminded of a house-breaker, who used to carry a crow-bar wrapped in a newspaper. Shri Jhala alighted from his motor-cycle and challenged the strangers and asked them to show what they were carrying wrapped in the newspaper. While one of them tried to browbeat the Police Inspector the other stranger only unwrapped the half portion of the newspaper. Shri Jhala snatched it from him and on unwrapping, it turned out to be an iron crow-bar. On realising that they had been exposed the two strangers whipped out their revolvers which had been tucked by them inside the waistbands of their trousers and asked Shri Jhala to surrender him revolver. Shri Jhala threw away the crow-bar (genesia) and went for his own revolver. But before Shri Jhala could take out his revolver from the holster, one of the strangers named Nasir Khan fired at him at a point blank range, but providence saved Shri Jhala and the bullet hit the wall. The criminal fired again but this time Shri Jhala stepped aside. However he fired three shots in quick succession at Nasir Khan which hit Nasir Khan in his chest and abdomen leading to his subsequent death in the hospital. In the meantime the other criminal also tried to fire at the Police Inspector but his revolver failed to function. The criminal then took to his heels. But the Police Inspector chased the criminal in a passing auto-rsckshaw and overpowered him.

In this encounter Shri Jivansinh Mansinhji Jhala exhibited conspicuous gallantry, alertness and devotion to duty of a very high order.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 21st April, 1979.

No. 52-Pres/80.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the West Bengal Police :—

Name and Rank of the officer

Shri Chitta Ranjan Biswas,
Constable No. K/1889,
Hooghly District,
West Bengal.

Statement of services for which the decoration has been Awarded

On the 28th May, 1976 at 19.05 hours, Shri Santi Ranjan Biswas, Sub Inspector of Police received information that some notorious dacoits were likely to commit a dacoity in a house in Deypara Balarampur village on that night. Shri Santi Ranjan Biswas accompanied by one Sub-Inspector and five Constables including Shri Chitta Ranjan Biswas left for the village. On reaching the village, they took up tactical position in a bush near the spot. At about 00.20 hours, flashes of torches were noticed and some sounds of breaking of doors were heard. The police party immediately rushed to the place from where the noise was coming. The dacoits who came to know of the arrival of the police, attacked the police party by exploding a few bombs and fired from their pipe-guns and also throwing arrows from the bows. Shri Santi Ranjan Biswas ordered to return the fire. The exchange of fire continued for nearly two hours. During the course of firing, Shri Santi Ranjan Biswas received an injury on his left arm while constable Chitta Ranjan Biswas, a member of the police party received serious injury from the bomb explosion on his back near waist. In utter disregard of his own safety and the injury, Shri Chitta Ranjan Biswas fired three rounds from his rifle and shot down a dacoit. At this the dacoits started retreating but the police party chased them and succeeded in arresting one injured dacoit. Other dacoits escaped in the darkness. During search of the area, two dead bodies of notorious dacoits of Burdwan District were recovered and one loaded Pipe-gun and two .12 bore live cartiges were recovered from the possession of a dead dacoit. Two live bombs, two arrows and empty cartidges cases were recovered from the place of occurrence.

In this encounter Shri Chitta Ranjan Biswas exhibited exceptional gallantry, courage and devotion to duty of a very high order.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 28th May, 1976.

No. 53-Pres/80.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Border Security Force :—

Name and rank of the officer

Shri Karna Bahadur Gurung,
Head Constable No. 66788030,
78 Battalion,
Border Security Force

Statement of service for which the decoration has been awarded

On the night intervening August 10/11, 1977, Shri Karna Bahadur Gurung, Head Constable received information that a gang of dacoits was likely to commit dacoity in the house of Shri Manmohan Chandra Debnath in Village Aralia in Tripura. Since it was not possible to report the matter to the nearest Police Station, which was located at a distance, Shri Karna Bahadur Gurung rushed to the village along with the three constables to apprehend the criminals. On reaching the village the Border Security Force party took up position and found that the dacoits had already arrived and were engaged in ransacking the house of the victim. When the dacoits were challenged, they opened fire on the Border Security Force patrol party and by taking advantage of the darkness, they escaped leaving behind the property which they had looted. The Border Security Force party made an effort to chase the miscreants but were not successful. In the morning of the 11th August, 1977, the Border Security Force party returned to the place of encounter and found a trail of blood from the village. On intensive search and combing of the area, one injured dacoit was found taking shelter in the paddy field. While the patrol party was approaching him they were fired upon by the other dacoits who had also hidden themselves near by. In disregard of the firing, Shri Gurung positioned his men tactfully on the ground and he himself started advancing towards the dacoits with the aim of apprehending them. Shri Gurung charged the criminals from a distance of 10 yards and one dacoit was shot dead on the spot. On search of the area, they recovered stolen property and some arms and ammunitions including one automatic carbine rifle.

In this encounter Shri Karna Bahadur Gurung displayed conspicuous gallantry, initiative and devotion to duty of a very high order.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 10th August, 1977.

S. NILAKANTAN, Dy. Secy to the President.

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS

(COMPANY LAW BOARD)

New Delhi, the 14th July 1980

ORDER

No. 27(26)80-CL-II.—In pursuance of clause (ii) of sub-section(1) of Section 209A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby authorises the following officers of the Government of India in the Department of Company Affairs for the purposes of the said section 209A :—

1. Shri D. K. Paul, Inspecting Officer, Company Law Board, Calcutta.
2. Shri H. K. Malik, Inspecting Officer, Company Law Board, Calcutta.
3. Shri Sisir Kumar Das, S.T.A., Office of the Registrar of Companies, Orissa.

S. BALARAMAN, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1980